मुंबई पत्तन प्राधिकरण
पेंशन निधि न्यास

MUMBAI PORT AUTHORITY
PENSION FUND TRUST

प्रशासन रिपोर्ट
ADMINISTRATION REPORT

और / **and**

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS

2023-2024

और /**and**

उसपर लेखापरीक्षा रिपोर्ट
THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2023–2024 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखापरीक्षा संबंधी
आपत्तियों/अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित

WITH ACTION TAKEN NOTES ON
AUDIT OBJECTIONS/OBSERVATIONS CONTAINED
IN THE REPORT FOR THE YEAR 2023-2024

अनुक्रमणिका /INDEX

विषय सूची / CONTENTS	पृष्ठ क्र Page Nos
प्रशासन रिपोर्ट 2023-24 Administration Report 2023-24	1-15
31 मार्च 2024 का तुलन पत्र Balance sheet as on 31st March 2024	16
31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 2024	17
31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान Receipt and Payments for the year ended 31st March 2024	18-19
31 मार्च 2024 के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ Schedules to balance sheet as on 31st March 2024.	20-27
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ - 31 मार्च 2024 Significant Accounting Policies - 31st March 2024	28
लेखा पर टिप्पणियाँ - 31 मार्च 2024 Notes on Accounts - 31st March 2024	29-35
दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखा पर की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट Audit Report on the Accounts of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the Year ended 31st March 2024.	36-44
दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही नोट. Action taken notes on the Audit Report on the Accounts of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the Year ended 31st March 2024.	45-53

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
पेंशन निधि न्यास

MUMBAI PORT AUTHORITY
PENSION FUND TRUST

प्रशासन रिपोर्ट
2023-2024

ADMINISTRATION REPORT
2023-2024

न्यासी मंडल

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास

TRUSTEES OF MbPA PENSION FUND TRUST

’’*’*’*’*’*’*

अध्यक्ष मुंबई पत्तन प्राधिकरण CHAIRMAN, MBPA	:	सुशील कुमार सिंह SUSHIL KUMAR SINGH
उपाध्यक्ष मुंबई पत्तन प्राधिकरण DY. CHAIRMAN, MBPA	:	आदेश तितरमारे ADESH TITARMARE
वित्तिय सलाहाकार और मुख्य लेखा अधिकारी, मुंबई पत्तन प्राधिकरण सचिव और संयोजक (FA&CAO, MBPA) (SECRETARY & CONVENER)	:	श्रीमती माधुरी वराडे SMT. MADHURI VARADE
सचिव मुंबई पत्तन प्राधिकरण SECRETARY, MBPA	:	पी.एन. बाहेकर P.N. BAHEKAR
श्रमिको के प्रतिनिधित्व कर रहे न्यासी TRUSTEE REPRESENTING LABOUR	:	प्रदीप नलावडे PRADEEP NALAVDE
श्रमिको के प्रतिनिधित्व कर रहे न्यासी TRUSTEE REPRESENTING LABOUR	:	ज्ञानेश्वर वाडेकर DNYANESHWAR WADEKAR

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास

प्रशासन रिपोर्ट 2023-24

मैं 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधी न्यास की प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ.

न्यास के निर्माण की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निधी न्यास का निष्पादन निम्नानुसार है:

1. मुं.प.प्रा. पेंशन निधि न्यास की स्थापना (एमबीपीएपीएफटी) :

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मुं.पो.ट्र (पेंशन निधि) विनियम तैयार किए गए. मुं.पो.ट्र (पेंशन निधि) विनियम, 2004 के अनुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधी न्यास के प्रथम न्यासियों के रूप में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सचिव और दो श्रम न्यासियों को नामित कर पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए एक अपरिवर्तनीय न्यास का सृजन किया गया. मुंबई पत्तन के न्यासी मंडल और पेंशन निधी न्यासके प्रथम न्यासियों के बीच दि.14.1.2004 को हुए न्यास विलेख के निष्पादन से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधी न्यास अस्तित्व में आया.

2. मुं.पो.ट्र पेंशन फंड ट्रस्ट को मान्यता :

आयकर आयुक्त क्षेत्र 12(1), मुंबई ने आयकर अधिनियम 1961 की अनुसूची IV के भाग बी के नियम 2(1) के अधीन उन्हें सौंपे गए अधिकारों के अनुसार दि. 1.3.2004 के आदेश क्र. सीआयटी 12/पेंशन फंड/ 2003-04 द्वारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधि न्यास को अनुमोदन प्रदान किया था. मंत्रालय ने उनके दि. 6.4.2004 के पत्र द्वारा न्यास को अनुमोदन सूचित किया और दि. 21 मई 2004 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी.

3. मुं.पो.ट्र पेंशन फंड ट्रस्ट के नामकरण में बदलाव को अनुमोदन :

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को एक तारीख के रूप में नियत किया है, जिस दिन महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 का प्रावधान लागू हुआ था. जिसे दिनांक 29.10.2021 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4504 (ई) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था. तद्नुसार 29.10.2021 से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021, प्रभावी हुआ. इसके बाद मंत्रालय ने दिनांक 03.11.2021 की राजपत्र अधिसूचना के तहत महापतन प्राधिकरणों के पहले न्यासी मंडल का गठन किया. तदनुसार, मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्यो ने बोर्ड संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से दिनांक 31.01.2022 यानी राजपत्र अधिसूचना की तिथि से "मुंबई पोर्ट ट्रस्ट" के नाम को "मुंबई पत्तन प्राधिकरण" के रूप में बदलने को अनुमोदन प्रदान किया.

उपरोक्त का अनुपालन करने के लिए, एमबीपीएपीएफटी के ट्रस्टियों ने अपने संकल्प संख्या 02 दिनांक 12.05.2022 के माध्यम से मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास (एमबीपीटीपीएफटी) के नाम को मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास' (एमबीपीएपीएफटी) के रूप में बदलने को अनुमोदन प्रदान किया.

4. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निधि प्रबंधन ः

दि. 29.3.2004 के न्यासी मंडल की संकल्प संख्या 48 के अनुसार आयकर नियम, 1962 के नियम 89 के अनुपालन में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआयसी) को पेंशन निधि के प्रबंधन हेतु निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रत्येक वर्ष में वर्तमान तथा भविष्य के पेंशनरों के प्रति पेंशन देयता का भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन कर परिकलन किया जाता है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा एमबीपीएपीएफटी के निवेश हेतु रु 1495.00 करोड की राशि भा.जी.बी.नि. को अंशदानित की गई.

दि. 31.3.2024 को भा.जी.बी.नि. के साथ कुल निवेश रु. 10308.41 करोड़ है, जब कि दि. 31.3.2023 को यह रु. 9299.32 करोड़ था. भा.जी.बी.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.08% की दर से ब्याज घोषित किया है. भा.जी.बी.नि. द्वारा घोषित प्रतिफल में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.90% से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.08% की बढोतरी हुई है. 9299.32 करोड रूपये के निवेश पर उपार्जित 748.59 करोड रूपये ब्याज की राशि है.

5. बीमांकिक मूल्यांकन ः

प्रत्येक वर्ष वर्तमान कर्मचारी और पेंशनरों की जानकारी भा.जी.बी.नि. को भेजी जाती है और बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भा.जी.बी.नि. ने वर्तमान पेंशनरों के प्रति रु. 9122.24 करोड़ और भविष्यकालीन पेंशनरों अर्थात वर्तमान कर्मचारियों के प्रति रु. 2325.50 करोड, कुल मिलाकर रु. 11447.74 करोड़ की कुल बीमांकिक देयता का परिकलन किया है. यह मूल्यांकन 6% के दर से वेतन में बढोतरी को ध्यान में रखकर किया गया है.

6. मुंबई पत्तन प्राधिकरण से अंशदान ः

इस बिमांकिक देयता के आधार पर तथा मुंबई पत्तन प्राधिकरण (पेंशन फंड) विनियम़ 2004 में दिए गए मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा मु. प. प्रा. पेंशन निधि न्यास (एमबीपीएपीएफटी) में वार्षिक अशदान किया जाता है. मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास में भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश के रूप में रु.1495 करोड़ का अंशदान किया है. जिसमें से रु.121.69 करोड़ मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा देय पिछले बकाया थे और रु. 6.00 करोड़ रुपये पेंशन भुगतान के वितरण के लिए थे. इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2022-23 में एमबीपीए को एमबीपीए-पीएफटी को रु. 825.00 करोड़ की राशि का योगदान दिया गया।

7. मासिक पेंशन भुगतान हेतु भा. जी. बी. नि. के साथ पेंशन फंड के निवेश की मूल धनराशि तथा उसपर उपार्जित व्याज की निकासी.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भा.जी.बी.नि. ने 7.90% का व्याजदर घोषित किया था, हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुदरवादी आधार पर 7.00% की ब्याज दर का अनुमान लगाया गया था. वित्तीय वर्ष 2023-24 में की गई रु 1495.00 करोड की राशि निवेश और रु 651.00 करोड़ राशि के अनुमानित प्राप्त व्याज ध्यान में लेते हुए, रु 1234.50 करोड़ की राशि मासिक पेंशन भुगतान हेतु भा. जी. बी. नी के साथ निवेश पर व्याज से वर्ष के दौरान निकाली गयी.

8. निधि की स्थिति ः

दि. 31.03.2024 तक निवेश शेष ₹10311.91 करोड़ है, जिसमें ₹3.51 करोड़ का सीएलटीडी निवेश शामिल है, जबकि 31.03.2023 तक यह ₹9301.85 करोड़ था. रु.11447.74 करोड का बीमांकिक मूल्यांकन तथा रु. 10311.91 करोड़ की निवेश शेष को ध्यान में रखते हुए निधि में रु. 1135.83 करोड तक की कमी है. यह कमी आनेवाले कुछ वर्षो में अधिशेष राजस्व की उपलब्धता होने पर पूरी होने की अपेक्षा है.

9. वित्तीय स्थिति ः

वर्ष के दौरान, इस निधि ने उसके निवेशों पर रु 748.70 करोड ब्याज अर्जित किया रु. 1165.63 करोड़ के पेंशन भुगतान में पेंशन सुधार, समेकन तथा समाधान कारण उत्पन्न बकाया राशि तथा जीवित प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण रोके गये पेंशन के कारण उसके प्रति वही खाते में लिखा गया रु 21.64 करोड़ का उपार्जित व्यय शामिल है. न्यास ने वर्ष 2023-24 के दौरान रु. 410.92 करोड़ का घाटा उठाया है.. विगत वित्तीय वर्ष में यह घाटा 429.67 करोड़ रुपये था. घाटा संग्रहित निधि में प्रभारित किया गया है.

10. मार्च 2023 और मार्च 2024 को पेंशनरों की स्थिति ः

(ए) **पेंशन भुगतान के आधार पर** ः

अनु. क्र	पेंशन का प्रकार	दि. को पेंशनरों की संख्या	
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2024
1.	अधिवर्षिता	19350	19280
2.	परिवारिक	13733	13824
3.	सानुग्रह	461	413
	कुल :-	**33544**	**33517**

(बी) **पेंशनरों की संख्या के आधार पर** ः

अनु. क्र	विवरण	यथा दिनांक को पेंशनरों की संख्या	
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2024
1.	भुगतान किया गया पेशन	33544	33517
2.	अस्थायी रूप से रोका गया		
	(i) आधार कार्ड शपथ पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि प्रस्तूत न करना	208	207
	(ii) जीवित प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना	1465	1353
	कुल ः	**35217**	**35077**

11. वर्ष के दौरान निपटाए गए पेंशन मामलों की संख्या ः

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-2023	वित्तीय वर्ष 2023-2024
अधिवर्षिता	741	617
परिवारिक	758	583
सानुग्रह	4	0
कुल ः	**1503**	**1200**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 3.42% नये पेंशन मामलों में वृद्धि हुई जबकि विगत वित्तीय वर्ष यह 4.27% थी.

12. वर्ष के दौरान मृत्यु मामलों की संख्या ः

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-2023	वित्तीय वर्ष 2023-2024
अधिवर्षिता	742	750
परिवारिक	511	519
सानुग्रह	64	44
कुल ः	**1317**	**1313**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मृत्यु अनुपात 3.74% रहा जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह 3.74% था.

13. जीवित प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण रोके गये पेंशन के मामलों की संख्या ः

	पेंशनरों की संख्या	भुगतान न की गयी राशि (रु करोड में)
(i) वित्तीय वर्ष 2023-24 तक	609	36.91
(ii) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान	257	4.77

14. पेंशनभोगियों (विकलांग व्यक्तियों) की संख्या जिन्हें पेंशन का भुगतान किया गया है ः

	पेंशनरों की संख्या	भुगतान की गयी राशि (रु करोड में)
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान	111	3.78

15. पेंशनरों की संख्या, जिन्हें अतिरिक्त पेंशन अदा की गयी.

पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनरों की आयु	अतिरिक्त लाभ (%)	कुल पेंशनर 2022-2023	कुल पेंशनर 2023-2024
80 वर्षों से 85 वर्षों से कम आयु	20	374	329
85 वर्षों से 90 वर्षों से कम आयु	30	177	210
90 वर्षों से 95 वर्षों से कम आयु	40	107	119
95 वर्षों से 100 वर्षों से कम आयु	50	36	16
100 वर्ष और उसके उपर	100	3	4
कुल ः		**697**	**678**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1.94% पेंशनर अति वरिष्ठ नागरीक है जबकि विगत वर्ष में ऐसे 1.98% पेंशनर थे.

16. पेंशनरों को अदा किए गये महँगाई भत्ते का ब्योरा :

अनु. क्र.	अवधि	वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए %			वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए %		
		आधार सूचकांक			आधार सूचकांक		
		1708	**126**	**277**	**1708**	**126**	**277**
1.	अप्रैल - जून	331	186	30	360	204	38
2.	जुलै - सितंबर	341	192	33	366	206	39
3.	अक्तुबर - दिसंबर	350	197	35	383	217	44
4.	जनवरी - मार्च	359	202	37	383	216	44

मार्च 2023 की तुलना में मार्च 2024 का आधार सूचकांक 1708, 24% बढ़ा था.
मार्च 2023 की तुलना में मार्च 2024 का आधार सूचकांक 126 14% बचा था
मार्च 2023 की तुलना में मार्च 2024 का आधार सूचकांक 277, 7% बढ़ा था.

16.1 भुगतान के माध्यम वार मासिक पेंशन भुगतान ः

अनु. क्र.	भुगतान का माध्यम	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
	बैंक के माध्यम से	(रु. करोड में)	(रु. करोड में)
1.	सीबीएस (एसबीआई)	443.32	617.40
2.	इसीएस	328.51	88.33
3.	एनइएफटी	391.42	616.95
4.	निवल उपर्जित पेशन	-43.84#	-157.05*
	कुल ः	**1119.41**	**1165.63**

* निवल उपार्जित पेंशन में 31.3.2024 रु. (0.20) करोड के समापन के बाद रु (156.85) करोड उपर्जित पेंशन शामिल है
\# निवल उपर्जित पेंशन में 31.3.2023 रु.(3.75) करोड़ के समापन के बाद रु (40.06) करोड़ उपर्जित पेंशन शामिल है

16.2 वर्ष के दौरान नियमित पेंशन के भुगतान के अलावा कोई असाधारण बकायों के भुगतान का ब्योरा ः

वेतन सुधार -2017 के कारण, अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 के महीने में ₹ 100.57 करोड़ की पेंशन बकाया (शेष 55%) का भुगतान किया गया और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, दिसंबर-2023 और मार्च 2024 के महीने में वेतन सुधार -2017 के कारण अतिरिक्त संराशीकरण ₹ 62.70 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया.

16.3 संराशीकरण का भुगतान ः

वर्ष के दौरान पेंशन का कुल संराशीकृत मूल्य ₹144.88 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें संराशीकरण के रूप में ₹ 82.19 करोड़ का नियमित भुगतान तथा वेतन सुधार -2017 के लिए अतिरिक्त संराशीकरण के रूप में ₹62.70 करोड़ शामिल हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है.

16.4 <u>वर्ष के दौरान पेंशन नियमों / विनियमों में संशोधन</u> ः

एक से अधिक विधवाओं को देय पारिवारिक पेंशन के संबंध में बोर्ड द्वारा दिनांक 24.11.2023 को बीआर संख्या 170 पारित किया गया. इसके अलावा मौजूदा एमबीपीए पेंशन विनियमों को सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 की तर्ज पर एमबीपीए 2021 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त रूप से अद्यतन किया जा रहा है.

16.5 <u>भा. जी. बी. नी द्वारा पेंशन की प्रतिपूर्ति भुगतान की स्थितिः</u>

पेंशन वितरण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ₹ 1234.50 करोड़ निकाले गए और मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा ₹ 6.00 करोड़ का भुगतान भी किया गया.

17. <u>अन्य महत्वपूर्ण विशेषताये :</u>

- **<u>अधिकतम पेंशन :</u>**

विगत वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये 1,40,668/- रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,31,757/- रूपये उच्चतम पेंशन भुगतान किया गया है.

- **<u>डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र :</u>**

नवंबर 2016 से "ई जीवन प्रमाण" के माध्यम से पेंशनरों के डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र पंजीकरण के लिए प्रणाली भी उपलब्ध करायी गयी है. 2023-2024 के दौरान कुल 28469 पेंशनरों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और उनके लाइफ प्रमाणपत्र डिजिटल फार्म में अग्रेषित किये है.

- **<u>मोबाईल ॲप मु.प.प्रा. ईसेवा :</u>**

पेंशनधारकों को उनके मासिक पेंशन के विवरण की जानकारी के लिए तथा मुं.प.प्रा. को अपनी शिकायत दर्ज करने के तथा ऐसी शिकायत की स्थिति को जानने के लिए मुं.प.प्रा. ई-सेवा अप्लीकेशन है. यह सेवा नवंबर, 2017 से मुं.प.प्रा. वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है तथा यह अन्ड्रॉइड एवं आयओएस आधारित मोबाइल फोनों से भी प्राप्त की जा सकती है. अप्लीकेशन निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध करता है

1) **<u>माई प्रोफाइल ब्योरा</u> ः**

इसमें पेंशनरों का ब्योरा जैसे उनकी पोपोओ संख्या, स्थिति, आधार संख्या पॅन संख्या, जन्मतिथि, पता, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति को तिथि, खाता संख्या, बैंक का नाम आदि विवरण उपलब्ध होते है.

2) **<u>परिपत्रक</u> ः**

महत्वपूर्ण परिपत्रक तथा लाइफ प्रमाणपत्र फार्म्स डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होते है.

3) **<u>फीडबॅक प्रश्न</u>** ः

पेंशनर उनकी शिकायतें दर्ज कर सकते है. पता वैवाहिक स्थिति बैंक विवरण केवायसी आदि में परिवर्तन के लिए अनुरोध भी दर्ज करा सकते है.

4) **ईआरपी का कार्यान्वयन शुरु हो चुका है.**

18. <u>आभार</u> ः

मैं, मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधी न्यास के न्यासियों के समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए उन्हें अपना सद्भावपूर्वक धन्यवाद देता हूँ. पेंशन न्यास को मजबूत बनाने के लिए मैं मुंबई पत्तन प्राधिकरण के न्यासी मंडल के माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ. मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ और आगामी वर्षों के लिए अच्छी आय की अपेक्षा करता हूँ. न्यास विलेख में उल्लिखित विद्यमान नियमों तथा मार्गदर्शी तत्वों के अनुसार निधि के उचित प्रशासन के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त समर्पित सेवाओं के लिए मैं अपनी प्रशंसा अभिलिखित करना चाहूँगा.

मैं पेंशनरों को कुशल सेवाएँ प्रदान करने के लिए तथा उनकी शिकायतें दूर करने के लिए वित्त विभाग की पेंशन शाखा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रयासों की भी विशेषरूप से सराहना करता हूँ.

हस्ता/-

स्थान ः मुंबई

(सुशील कुमार सिंह)
अध्यक्ष, मुं.प.प्रा. पेंशन निधी न्यास

दिनांक : 21 अक्टूबर, 2024

MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST

ADMINISTRATION REPORT 2023-24

I feel privileged to present the Administration Report of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the year ended 31st March 2024.

Brief background of the formation of the Trust and performance of the Trust during the financial year 2023-24 is as under:

1. Establishment of MbPA Pension Fund Trust (MbPAPFT)

The MbPT (Pension Fund) Regulations have been framed in accordance with provisions of Income Tax Act, 1961. As per the MbPT (Pension Fund) Regulations, 2004 an irrevocable trust for managing Pension Fund has been created nominating Chairman, Dy. Chairman, Financial Adviser & Chief Accounts Officer, Secretary and Two Labour Trustees of the Mumbai Port Trust as the First Trustees of the 'Mumbai Port Trust Pension Fund Trust'. The MbPT Pension Fund Trust came into existence by executing Trust Deed on 14/01/2004 between Board of Trustees of Port of Mumbai and the First Trustees of Pension Fund Trust.

2. Recognition to MbPT Pension Fund Trust :

The Commissioner of Income Tax Range 12(1), Mumbai by order no.CIT 12/Pension Fund/2003-04 dated 1-3-2004 accorded approval to MbPT Pension Fund in terms of powers vested in him under Rule 2(1) of Part B of IV schedule to Income Tax Act, 1961. Ministry by its letter dated 6.4.2004 conveyed its approval to the Trust. The notification has been published in the Govt. Gazette dated 21 May 2004.

3. Approval for change in Nomenclature of MbPT Pension Fund Trust

The Central Government has appointed the 3rd day of November, 2021 as a date on which provision of Major Port Authorities Act, 2021, came into force. Same was published vide Gazette Notification No. S.O. 4504(E) dated 29.10.2021. Accordingly the MPA Act, 2021 came into force w.e.f. 03.11.2021. Ministry, thereafter, constituted the first Board of the Major Port Authorities vide Gazette Notification dated 31.01.2022.

Accordingly, the Board of Members of the Mumbai Port Authority vide TR No. 02 dated 15.02.2022 have accorded approval to the change the name of "Mumbai Port Trust" as "Mumbai Port Authority" w.e.f. 31.01.2022 i.e. the date of Gazette Notification.

To comply with above, the Trustees of MbPAPFT vide its Resolution No. 02 dated 12.05.2022, have accorded approval to the change the name of Mumbai Port Trust Pension Fund Trust (MbPTPFT) as Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPAPFT).

4. Fund Management by Life Insurance Corporation of India:

In compliance of Rule 89 of Income Tax Rules, 1962 in terms of Board of Trustees resolution No.48 dated 29.03.2004, Life Insurance Corporation of India (LIC) has been appointed as Fund Manager to manage Pension Fund. Every year actuarial valuation of Pension Liability towards existing and future pensioners is worked out by LIC. MbPA has contributed ₹. 1495.00 crore in LIC as an investment in MbPA-PFT.

The total investment with LIC as on 31.03.2024 is ₹. 10308.41 crore against ₹. 9299.32 crore as on 31.03.2023. For the F.Y. 2023-24, LIC has declared interest @ 8.08 %. There is an increase in the returns declared by LIC from 7.90% in FY 2022-23 to 8.08% in FY 2023-24. The interest amounting to ₹. 748.59 crore earned on investments of ₹. 9299.32 crore.

5. Actuarial Valuation:

Every year data of existing employees and pensioners is forwarded to LIC and actuarial valuation certificate is furnished by them. For the F.Y. 2023-24 the LIC has worked out total actuarial liability of ₹. 11447.74 crore comprising of ₹. 9122.24 crore towards existing pensioners and ₹. 2325.50 crore towards future pensioners i.e. existing employees. This valuation has been done considering the salary escalation rate @ 6%.

6. Contribution from MbPA :

On the basis of such actuarial liability and in terms of guidelines provided in Mumbai Port Trust (Pension Fund) Regulations, 2004, yearly contribution is made by Mumbai Port Authority to the Pension Fund Trust to bridge the gap to the extent possible. During F.Y.2023-24 Mumbai Port Authority has transferred in MbPA-PFT an amount of ₹ 1495.00 out of which ₹ 121.69 crores were past dues payable by MbPA and ₹ 6.00 crores for disbursement of Pension payments. Similarly, in F.Y.2022-23 MbPA was contributed an amount of ₹. 825.00 crore to MbPA-PFT.

7. Withdrawal from principal and accrued interest on Investment of Pension Fund with LIC of India for monthly pension payment.

For the F.Y.2022-23, LIC had declared interest rate of 7.90%. However, for the F.Y.2023-24 interest rate @ 7.00% was estimated on conservative basis. Considering contribution of ₹. 1495.00 crores and estimated interest amount of ₹ 651.00 crores an amount of ₹. 1234.50 crores has been withdrawn during the year.

8. Fund Position :

The Investment balance as on 31.03.2024 is ₹. 10311.91 crore including CLTD Investment of ₹. 3.51 crore as against ₹. 9301.85 crore as on 31.03.2023. Considering actuarial valuation of ₹. 11447.74 crore and Investment balance of ₹. 10311.91 crore there is a short funding to the extent of ₹. 1135.83 crore. The shortfall is expected to be made up on availability of surplus revenue in coming years.

9. Financial Position :

During the year, the Fund has earned interest income of ₹. 748.70 crore on its investments. The pension payment of ₹. 1165.63 crore includes an accrued expenditure of ₹. 21.64 crore booked towards arrears arising due to Pension Revision, Consolidation & settlement and on account of pension withheld for non-receipt of Life certificates/Affidavits. Trust has incurred deficit of ₹. 410.92 crore during the year 2023-24 against the deficit of ₹. 429.67 crore in the previous financial year. The deficit has been charged to the Corpus.

10. Position of pensioners as on March–2023 & March-2024 :

A. On the basis of Pension Paid :

Sr. No.	Type of Pension	No. of Pensioners as on	
		31st March 2023	31st March 2024
1.	Superannuation	19350	19280
2.	Family	13733	13824
3.	Ex-Gratia	461	413
	Total	**33544**	**33517**

B. On the basis No of Pensioners:

Sr. No	Particulars	No. of Pensioners as on	
		31st March 2023	31st March 2024
1.	Pension Paid	33544	33517
2.	Temporarily Stopped for :		
	i. Non submission of Aadhar Card, affidavit, medical certificate etc.	208	207
	ii. Non receipt of Life Certificate	1465	1353
	Total	**35217**	**35077**

11. No. of Pension cases finalized during the year :

Type	FY 2022-2023	FY 2023-2024
Superannuation	741	617
Family	758	583
Ex-Gratia	4	0
Total	**1503**	**1200**

During the F.Y. 2023-24 the new pension cases increase by 3.42% as against 4.27% in the previous financial year.

12. No. of Death cases during the year :

Type	FY 2022-2023	FY 2023-2024
Superannuation	742	750
Family	511	519
Ex-Gratia	64	44
Total	**1317**	**1313**

During the F.Y. 2023-24 the death ratio is 3.74% as against 3.74% in the previous financial year.

13. No. of cases where pension is stopped due to non-receipt of life certificate:

	No. of pensioners	Amount not paid (₹. in crore)
(i) Upto FY 2023-24	609	36.91
(ii) During FY 2023-24	257	4.77

14. No. of Pensioners (Persons with Disabilities) to whom pension is paid

	No. of pensioners	Amount paid (₹. in crore)
During FY 2023-24	111	3.78

15. No. of pensioners to whom additional pension is paid.

Age of pensioners / family pensioners	Additional Benefit (%)	Total pensioners 2022-23	Total pensioners 2023-24
From 80 years to less than 85 years	20	374	329
From 85 years to less than 90 years	30	177	210
From 90 years to less than 95 years	40	107	119
From 95 years to less than 100 years years	50	36	16
100 years and above	100	3	4
Total		**697**	**678**

During the F.Y. 2023-24 total 1.94% pensioners are very senior citizen as against the 1.98% pensioners in the previous year.

16. Details of D.A. paid to Pensioners :

Sr.No	Period	% for F.Y. 2022-2023			% for F.Y. 2023-2024		
		Base Index			Base Index		
		1708	126	277	1708	126	277
1.	April-June	331	186	30	360	204	38
2.	July-Sept	341	192	33	366	206	39
3.	Oct-Dec	350	197	35	383	217	44
4.	Jan-March	359	202	37	383	216	44

The Base Index1708 is increased by 24% as on March-2024 as compared to March-2023
The Base Index 126 is increased by 14% as on March-2024 as compared to March-2023
The Base Index 277 is increased by 7% as on March-2024 as compared to March-2023

16.1. Amount of Pension disbursement - payment mode wise details :

Sr.No.	Payment mode	FY 2022-23	FY 2023-24
	Through Bank	(₹. in Crore)	(₹. in Crore)
1.	CBS (SBI)	443.32	617.40
2.	ECS	328.51	88.33
3.	NEFT	391.42	616.95
4.	Net Accrued pension	-43.84#	-157.05*
	Total	**1119.41**	**1165.63**

* Net accrued pension includes Accrued Pension ₹.(156.85) crore after adjusting ₹.(0.20) crore closure outstanding as on 31.03.2024.

Net accrued pension includes Accrued Pension ₹. (40.06) crore after adjusting ₹. (3.75) crore closure outstanding as on 31.03.2023.

16.2. Details of payment other than regular pension payment – any extra ordinary arrears etc paid during the year :

Pension Arrears (balance 55%) of ₹ 100.57 crores paid in the month of April 2023 to September 2023 on account of Revision-2017 and an amount of ₹ 62.70 crores on account of Additional Commutation for Revision-2017 paid in the month of December-2023 and March 2024 during the FY 2023-24.

16.3. Commutation payment :

Total commuted value of pension amounting to ₹. 144.88 crore is paid during the year which includes ₹. 82.19 crore regular payment of commutation and ₹ 62.70 crore on account of Additional Commutation for Revision-2017 as stated above.

16.4. Amendments in Pension Rules / Regulations during the year:

BR No. 170 dated 24.11.2023 passed by the Board in respect of Family Pension payable to more than one widow. Further extant MbPA Pension Regulations are being suitably updated as per provisions of MbPA 2021 on the line of CCS (Pension) Rules 1972.

16.5. Status of reimbursement / disbursement of Pension by LIC:

₹. 1234.50 crore were withdrawn from Life Insurance Corporation of India (LIC) and ₹ 6.00 crore were also paid by MbPA during the FY 2023-24 for disbursement of pension.

17. Other important Highlights:

- **Highest Pension:**

  During the F.Y. 2023-24 highest pension paid is ₹. 1,40,668/- as against ₹. 1,31,757/- paid in previous financial year.

- **Digital Life Certificate:**

  A system for digital Life Certificate registration of pensioners through "E-Jeevan Praman" is also made available from November-2016. During 2023-24 total 28469 no. of pensioners have availed the facility and forwarded their life certificates in digital form.

- **Mobile Apps MbPT E-Seva:**

  "MbPT e-seva" Application is for the convenience of pensioners to know the details of monthly pension to register their grievances to MbPT and to know the status of complaint lodged. It was introduced on website from November-2017 which is also accessible through android and IOS based mobile phones.

The application provides following Menus :

1. **My Profile Details :**

   Pensioners' details such as their PPO No, Status, AADHAR No., PAN Number, Date of Birth, Address, Date of Appointment, Date of Retirement, Account No., Bank Name etc. are available.

2. **Circulars :**

   Important circulars and life certificate forms are available for downloading.

3. **Feedback/Query :**

   The pensioners can register their grievance. The requests for change in address, marital status, bank details, KYC etc. can also be registered.

4. ERP implementation has been started.

18. Acknowledgment:

I extend my sincere thanks for the support and guidance of the Trustees of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust. I am grateful to the Honorable Members of the Board of Mumbai Port Authority for strengthening the Pension Fund. I wish to thank officials of LIC for their co-operation and expect good returns for the ensuing years. I would like to place on record my appreciation of dedicated services rendered by the officers and staff of Finance Department of Mumbai Port Authority for proper administration of the Fund as per the extant Rules and guidelines mentioned in the Trust Deed.

I specially appreciate the efforts of Officials and staff of Pension Branch of Finance Department for providing efficient services to the pensioners and attending to their grievances promptly.

Place : Mumbai

Date : 21st October, 2024

(Sushil Kumar Singh)
CHAIRPERSON
MBPA-Pension Fund Trust

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
पेंशन निधि न्यास

MUMBAI PORT AUTHORITY
PENSION FUND TRUST

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
2023 – 2024

और **/And**

उसपर लेखापरीक्षा रिपोर्ट
THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2023–2024 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखापरीक्षा संबंधी
आपत्तियों/अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित

WITH ACTION TAKEN NOTES ON
AUDIT OBJECTIONS/OBSERVATIONS CONTAINED
IN THE REPORT FOR THE YEAR 2023-2024

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2024 का तुलन पत्र
Balance Sheet as on 31.03.2024

ब्यौरा/Particulars	SCHEDULE	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
		(₹)	(₹)
पेन्शन फंड लेखा और देयताएं / Pension Fund Account and Liabilities			
पेन्शन फंड Pension Fund	1	1,03,20,40,63,854.56	93,54,82,41,917.73
आरक्षित और अतिरिक्त Reserves And Surpuls	---	---	---
चिन्हित स्थायी निधि Earmarked Endowment Funds	---	---	---
सुरक्षित ऋण और अग्रिम Secured Loans And Advances	---	---	---
असुरक्षित ऋण और अग्रिम Un-secured Loans and Advances	---	---	---
अस्थागित जमा देयताएं Deferred Credit Liabilities	---	---	---
वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान Current Liabilities and Provisions	2	1,16,27,97,530.00	2,68,33,48,321.00
कुल/Total		**1,04,36,68,61,384.56**	**96,23,15,90,238.73**
परिसंपत्तियाँ /Assets			
नियत परिसंपत्तियाँ Fixed Assets	---	---	---
निवेश -पेन्शन निधिसे Investments - From Pension Fund	3	1,03,08,41,18,893.64	92,99,32,44,497.81
निवेश - अन्य Investments - Others	---	---	---
वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण तथा अग्रिम Current Assets, Loans and Advances	4	1,28,27,42,490.92	3,23,83,45,740.92
फुटकर खर्च (बट्टे खाते में न डाला हुआ) Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)	---	---	---
कुल/Total		**1,04,36,68,61,384.56**	**96,23,15,90,238.73**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies	9		
लेखा पर टिप्पणियां / Notes on Accounts	10		

उपरोक्त तुलनपत्र मे मेरे/हमारे विश्वास से न्यास की निधि और देयताओं तथा परिसम्पत्ति और सम्पत्ति के सही लेखा समाविष्ट हैं
The above Balance Sheet to the best of my/our belief contains a true account of the Funds and Liabilities and of the Property and Asset of the Trust.

राजीव जलोटा अध्यक्ष Rajiv Jalota Chairman	आदेश तितरमारे उपाध्यक्ष Adesh Titarmare Dy. Chairman	श्रीमती माधुरी वराडे सचिव Smt. Madhuri Varade Secretary	पवन बाहेकर न्यासी P. N. Bahekar Trustee	श्रीमती कल्पना देसाई न्यासी Smt. Kalpana Desai Trustee	दत्ताजय खेसे न्यासी Dattatraya Khese Trustee

Date : 29-05-2024

Place: MUMBAI-01

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust
31.03.2024 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय खाता
Income And Expenditure Account for the year ended 31.03.2024

ब्यौरा/Particulars	Schedule	for the year ended 31.03.2024 (₹)	for the year ended 31.03.2023 (₹)
आय/Income			
निवेशोंसे आय (पेंशन निधि से किए गए निवेश पर आय --निधि में अंतरित)/ Income from Investments (Income on Inv. from Pension Fund)	5	7,48,58,74,395.83	6,89,62,11,306.97
पेंशन भुगतान के संवितरण के लिए एमबीपीए से भुगतान / Payment recd.from MbPA for disbursement of pension payments	6	6,00,00,000.00	-
प्राप्त ब्याज/Interest Earned	7	11,90,052.00	12,79,645.00
अन्य आय (निवेश कि बिकि पर लाभ)/Other Income (Profit on sale of investment)	---	-	-
अंतिम उत्पाद / जारी कार्य मे वृध्दि Increase/Decrease in Stock of Finished Goods & Work in Progress	---	-	-
कुल(क)/Total (A)	---	**7,54,70,64,447.83**	**6,89,74,90,951.97**
व्यय/Expenditure			
स्थापना व्यय / Establishment Expenses	8		
i) निवृत्ती वेतन वितरण / Pension Disbursement	---	11,65,62,90,973.00	11,19,41,47,045.30
अन्य प्रशासकीय व्यय /Other Administrative Expenses	---	---	---
अनुदानों आर्थीक सहायता पर व्यय/Expenditure on Grants, Subsidies etc.	---	---	---
निवेश के प्रतिदान पर घाटा / Loss on redemption of Investments	---	---	---
ब्याज / Interest	---	---	---
पिछले वर्ष से संबंधित मद Item Related to Previous Year	---	---	---
कुल(ख)/ Total (B)	---	11,65,62,90,973.00	11,19,41,47,045.30
व्यय से आय अधिक होने से शेष(क-ख) / Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)	---	---	---
आय से व्यय अधिक होने से घाटा(क-ख) / Deficit being excess of Expenditure over Income (A-B)	---	4,10,92,26,525.17	4,29,66,56,093.33
विशेष आरक्षित मे अंतरित / Transfer to Special Reserve	---	---	---
सामान्य आरक्षित मे/से अंतरित /Transfer to/from General Reserve	---	---	---
पेन्शन फंड मे आगे लाया गया / Surplus carried to Pension Fund	---	---	---
पेन्शन फंड मे से घाटा निकाला गया / Deficit withdrawn from Pension Fund	---	**4,10,92,26,525.17**	**4,29,66,56,093.33**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	9		
लेखा पर टिप्पणियां / Notes on Accounts	10		

राजीव जलोटा अध्यक्ष Rajiv Jalota Chairman	आदेश तितरमारे उपाध्यक्ष Adesh Titarmare Dy. Chairman	श्रीमती माधुरी वराडे सचिव Smt. Madhuri Varade Secretary	पवन बाहेकर न्यासी P. N. Bahekar Trustee	श्रीमती कल्पना देसाई न्यासी Smt. Kalpana Desai Trustee	दत्ताजय खेसे न्यासी Dattatraya Khese Trustee

Date : 29-05-24

Place: **MUMBAI-01**

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2024 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान

Receipts and Payments for the year ended 31.03.2024

प्राप्ति Receipt	2023-24	2022-23	भुगतान Payments	2023-24	2022-23
	(₹)	(₹)		(₹)	(₹)
I. अधिशेष / Opening Balances			I. व्यय / Expenses		
a) हाथ मे रोकड / a) Cash in hand	---	---	a) स्थापना व्यय (निवृत्ति वेतन वितरण) a) Establishment Expenses (Pension Disbursement)	13,29,61,96,198.00	11,35,03,30,031.26
b) बैंक शेष / b) Bank Balances	---	---	b) प्रशासनिक व्यय / b) Administrative Expenses	832.79	1,027.26
i) चालू खाते में / In current accounts					
इंडियन बैंक - Indian Bank	6,30,85,333.50	3,77,098.50			
भारतीय स्टेट बैंक - State Bank of India	79,76,01,864.32	42,00,72,919.58			
(ii) जमा खातों मे / In deposit accounts	---	---	II. विभिन्न परियोजनाओ के निधियों के लिए भुगतान Payments made against funds for various projects	---	---
(iii) बचत खातों में / Savings accounts	---	---			
			III नये निवेश/जमा Investments and deposits made		
II. प्राप्त अनुदान / Grants Received	---	---	a) चिन्हित स्थायी निधी से / a) Out of Earmarked/ Endowment funds	---	---
a) भारत सरकार से / a) From Government of India	---	---	b) खुद के निधी से (एलआयसी मे) b)Out of Own Funds (Investments with LIC)	14,95,00,00,000.00	8,25,00,00,000.00
b) राज्य सरकार से / b) From State Government	---	---	c) मियादी जमा (सीएलटीडी) / c) Term Deposit (CLTD)	2,77,44,56,000.00	3,49,50,85,000.00
c) अन्य स्त्रोंत से / c)From other sources	---	---			
			IV. नियत परिसम्पत्तियो तथा जारी कार्यो पर व्यय Expenditure on Fixed Assets & Capital Work In Progress		
III. निम्न से निवेशो पर प्राप्त आय, Income on Investments from :-					
			a) नियत परिसम्पत्तियो की खरीद a) Purchase of Fixed Assets	---	---
अ) चिन्हित स्थायी/ निधि (ब्याज) a) Earmarked/Endow Funds (Interest)	---	---		---	---
मोचन पर लाभ / Profit on redumption	---	---	b) जारी कार्यो पर व्यय	---	---
ब) खुद के निधी से (अन्य निवेश)	---	---	b) Expenditure on Capital WIP	---	---
b) Own Funds (other Investment)	---	---			
			V. ऋण की धन वापसी / Refund of Loans		
IV. प्राप्त ब्याज / Interest Received			a) भारत सरकार से / a) From Government of India	---	---
अ) बैंक जमा पर (सीएलटीडी)/ a) On Bank Deposits (CLTD)	5,65,244.00	9,97,872.91	b) राज्य सरकार से / b) From State Government	---	---
ब) ऋण अग्रिम आदि / b) Loans & Advances etc.	---	---	c) अन्य / c) Other	---	---

cont...pg4

V. अन्य आय / Other Income			VI. वित्तीय प्रभार / Finance Charges		
a) मु•प•प्रा• ने किया अंशदान a) Contribution by MBPA	13,73,30,48,158.00	8,25,00,00,000.00	VII. अन्य भुगतान / Other Payments		---
b) अंशदान - कर्मचारियों कि अन्यत सेवा b) Foreing Service Contibution	2,03,48,973.00	49,68,329.00	a) अंशदान - कर्मचारियों कि अन्यत सेवा a) Foreing Service Contibution	78,12,750.00	---
c) अवधि समाप्ती निवेश / c) Invst.Matured (including CLTD)	2,76,47,10,532.79	3,53,14,76,044.39	VIII. इतिशेष / Closing Balances		
d) एलआईसी से निकासी d) Withdrawal from LIC	12,34,50,00,000.00	11,63,50,00,000.00	a) हाथ में रोकड / a) Cash in hand		---
e) Amt given by MbPA for disbursement e) संवितरण के लिए मु•प•प्रा• से प्राप्त	6,00,00,000.00		b) बैंक शेष / b) Bank Balances		---
VI. उधार राशी / Amount Borrowed					
VII. कोइ अन्य प्राप्तीयाँ / Any other receipts			i) चालू खाते में / i) In current accounts		
a)मु•प•प्रा• से प्राप्त (शेष के प्रती) / a) Received from MbPA (against outstanding receivables)	1,21,69,51,842.00	---	इंडियन बैंक - Indian Bank	6,21,10,148.50	6,30,85,333.50
b) निवृत्ति वेतन बन्द होने से प्राप्य / b) Amount received on account of Pension Closure	2,27,69,088.00	4,70,39,257.96	भारतीय स्टेट बैंक - State Bank of India	2,81,621.32	79,76,01,864.32
c) वितरण की वापसी / c) Disbursement Returned	58,27,248.00	38,36,095.00	(ii) जमा खातों मे / In deposit accounts		---
d) ईसीएस भुगतान (मार्च 2023) के लिए इंडियन बैंक में प्राप्त d) received in Indian Bank for ECS payment march 2023	6,09,49,267.00	6,23,35,639.00	(iii) बचत खातों में / Savings accounts		---
कुल / Total	**31,09,08,57,550.61**	**23,95,61,03,256.34**	**कुल / Total**	**31,09,08,57,550.61**	**23,95,61,03,256.34**

राजीव जलोटा	आदेश तितरमारे	श्रीमती माधुरी वराडे	पवन बाहेकर	श्रीमती कल्पना देसाई	दत्ताजय खेसे
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव	न्यासी	न्यासी	न्यासी
Rajiv Jalota	Adesh Titarmare	Smt. Madhuri Varade	P. N. Bahekar	Smt. Kalpana Desai	Dattatraya Khese
Chairman	Dy. Chairman	Secretary	Trustee	Trustee	Trustee

Date : 29-05-24

Place: **MUMBAI-01**

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2024 के तुलनपत्र की अनुसूची 1
Schedule - 1 to the Balance Sheet as at 31.03.2024
अनुसूची : निवृत्ती वेतन निधी / Schedule : PENSION FUND

	as on 31.03.2024			as on 31.03.2023		
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
01.04.2023 को अधिशेष / Opening Balance as on 01.04.2023			**93,54,82,41,917.73**			**89,55,34,32,666.06**
जोडे : अंशदान/अन्य प्राप्तीयाँ / Add : Contributions/Other Receipts						
1) अंशदान / Contribution						
a) मु.प.प्रा. ने किया / 2023-24 मे निवृत्ती वेतन के भुगतान के लिए हस्तांरीत कि गई राशी व्दारा / Amounts by way of Transfers during the year 2023-24 for disbursement of Pension	-			-		
b) एलआईसी मे की गई निवेश / Amount invested with LIC	14,95,00,00,000.00			8,25,00,00,000.00		
c) बीडीएलबी से की गई भुगतान / Payments made by BDLB	-			-		
		14,95,00,00,000.00			**8,25,00,00,000.00**	
2) कर्मचारियों कि अन्यत सेवा / Foreign Service Contribution	2,14,78,888.00			57,07,852.00		
3) निवृत्त सीपीएफ कर्मचारियीं का विश्वस्तीं का अंशदान पेंशन फंड को हस्तांतरीत किया / Trustess Contibution to PF in respect of CPF employees Transferred to Pension Fund	2,00,76,299.00			3,80,40,270.00		
4) वर्ष 2023-24 का अधिशेष पूंजी मे लाया गया / Surplus of the year 2023-24 transferred to Pension Fund	-	-		-	-	
		4,15,55,187.00	**14,99,15,55,187.00**		**4,37,48,122.00**	**8,29,37,48,122.00**
घटाएं : भुगतान / अन्य आकार / Less : Payments / Other Charges						
1) अंशदान का भुगतान / Contribution Payment	95,54,883.00			22,82,777.00		
2) मु.प.प्रा. से बकाया प्राप्तियों के प्रती प्राप्त / Received from MbPA (against outstanding receivables)	1,21,69,51,842.00			-		
3) वर्ष 2023-24 के लिए घाटा पेंशन फंड में लगाया गया / Deficit for the year 2023-24 charged to Pension Fund	4,10,92,26,525.17			4,29,66,56,093.33		
		5,33,57,33,250.17	**5,33,57,33,250.17**		**4,29,89,38,870.33**	**4,29,89,38,870.33**
31.03.2024 को इतिशेष / Closing Balance as on 31.03.2024			**1,03,20,40,63,854.56**			**93,54,82,41,917.73**

(श्रीमती माधुरी वराडे)
सचिव
(Smt. Madhuri Varade)
Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट

Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31•03•2024 के तुलनपत्र की अनुसूची - 2

Schedule - 2 to the Balance Sheet as on 31.03.2024

अनुसूची : वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान

Schedule : Current Liabilities and Provisions

	as on 31.03.2024		as on 31.03.2023	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
प्रोदभूत देयताएँ / Accrued Liabilities				
निवृत्ति वेतन भुगतान / Pension Payments	21,64,17,536.00		1,78,50,12,962.00	
		21,64,17,536.00		**1,78,50,12,962.00**
विविध लेनदार / Sundry Creditors				
निवृत्ति वेतन लाभार्थी / Pensioners	94,53,16,792.00		53,84,316.00	
अन्य / Others	10,63,202.00		89,29,51,043.00	
		94,63,79,994.00		**89,83,35,359.00**
कुल/Total		**1,16,27,97,530.00**		**2,68,33,48,321.00**

(श्रीमती माधुरी वराडे)

सचिव

(Smt. Madhuri Varade)

Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31•03•2024 के तुलनपत्र की अनुसूची -3

Schedule - 3 to the Balance Sheet as at 31.03.2024

अनुसुची ३ **एलआइसी के साथ पेंशन फंड से निवेश**

Schedule :Investments from Pension Fund With LIC

निवेशों के सूची **List of Investment**	**as at 31.03.2024**		**as at 31.03.2023**	
	अंकित मुल्य	लागत मुल्य	अंकित मुल्य	लागत मुल्य
	Face Value	**Cost Value**	**Face Value**	**Cost Value**
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
Long Term Investments:-				
i) एलआयसी के पास / With LIC	1,03,08,41,18,893.64	1,03,08,41,18,893.64	92,99,32,44,497.81	92,99,32,44,497.81
कुल(ब)/Total	**1,03,08,41,18,893.64**	**1,03,08,41,18,893.64**	**92,99,32,44,497.81**	**92,99,32,44,497.81**
उध्दरित न किए निवेश / **Unquoted Investments .....**	**1,03,08,41,18,893.64**	**1,03,08,41,18,893.64**	**92,99,32,44,497.81**	**92,99,32,44,497.81**

(श्रीमती माधुरी वराडे)
सचिव
(Smt. Madhuri Varade)
Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट

Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2024 के तुलनपत्र की अनुसूची-4

Schedule - 4 to the Balance Sheet as on 31.03.2024

वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण तथा अग्रिम

Current Assets, Loans , Advances & Other Assets

	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
	as on 31.03.2024		as on 31.03.2023	
A. वर्तमान संपत्ति / A. CURRENT ASSETS :				
1. विविध देनदार / Sundry Debtors				
मुं॰ प॰ प्रा॰ से प्राप्य /Receivable from MBPA				
i) छह माह से अधिक समय से बकाया / Outstanding for more than six months	1,09,69,50,704.10		2,25,53,71,011.75	
ii) अन्य / Others	4,73,89,930.79	1,14,43,40,634.89	5,85,45,405.35	2,31,39,16,417.10
निवृत्ति वेतन लाभार्थीयो से प्राप्य / Receivable from Pensioners				
i) छह माह से अधिक समय से बकाया Outstanding for more than six months	3,31,08,015.00		3,72,93,641.00	
ii) अन्य / Others	64,73,628.00	3,95,81,643.00	2,79,726.00	3,75,73,367.00
		1,18,39,22,277.89		**2,35,14,89,784.10**
2 . बैंक शेष / Bank Balances				
अनुसुचित बैंकों के साथ / With Scheduled Banks				
इंडियन बैंक - खाता कं 415242112 Indian Bank - A/C No. 415242112	6,21,10,148.50		6,30,85,333.50	
भारतीय स्टेट बैंक - खाता कं 10996687573 State Bank of India - A/C No.10996687573	2,81,621.32	6,23,91,769.82	79,76,01,864.32	86,06,87,197.82
बैंकों के साथ सावधि जमा (सीएलटीडी) Term Deposit with banks (CLTD)				
i) लंबी अवधि के निवेश / Long Term Investments	-		-	
ii) वर्तमान निवेश / Current Investments	3,50,30,593.21	3,50,30,593.21	2,52,85,000.00	2,52,85,000.00
		9,74,22,363.03		**88,59,72,197.82**
कुल [A]/Total [A]		**1,28,13,44,640.92**		**3,23,74,61,981.92**
B. Loans, Advances and Other Assets/ ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियां				
1) प्रोदभूत आय / Accrued Income				
सीएलटीडी जमा पर प्रोदभूत ब्याज / Accrued Interest on CLTDs	13,97,850.00		8,83,759.00	
कुल [B]/Total [B]		13,97,850.00		8,83,759.00
कुल [A+B]/Total [A+B]		**1,28,27,42,490.92**		**3,23,83,45,740.92**

(श्रीमती माधुरी वराडे)

सचिव

(Smt. Madhuri Varade)

Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिए अनुसूची- 5

Schedule-5- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2024

अनुसूची - निवेश से आय
Schedule - INCOME FROM INVESTMENTS

	for the year ended 31.03.2024	for the year ended 31.03.2023
	(₹)	(₹)
(पेंशन फंड से निवेश पर आय) **(Income on Investments from Pension Fund)**		
i) ब्याज **i) Interest**		
a) एलआईसी से a) From LIC	7,48,58,74,395.83	6,89,62,11,306.97
b) अन्य b) Others	-	-
कुल / TOTAL	**7,48,58,74,395.83**	**6,89,62,11,306.97**
पेंशन फंड से निवेश पर आय /Income on Investments from Pension Fund	**7,48,58,74,395.83**	**6,89,62,11,306.97**

(श्रीमती माधुरी वराडे)
सचिव
(Smt. Madhuri Varade)
Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट

Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिएअनुसूची- 6

Schedule-6- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2024

अनुसूची - पेंशन भुगतान के संवितरण के लिए एमबीपीए से प्राप्त भुगतान

Schedule - Payment recd.from MBPA for disbursement of pension payments

	for the year ended 31.03.2024	for the year ended 31.03.2023
	(₹)	(₹)
पेंशन भुगतान के संवितरण के लिए एमबीपीए से प्राप्त भुगतान / Payment recd. from MbPA for disbursement of pension payments	6,00,00,000.00	-
कुल / TOTAL	6,00,00,000.00	-

(श्रीमती माधुरी वराडे)
सचिव
(Smt. Madhuri Varade)
Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिए अनुसूची- 7
Schedule-7- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2024

अर्जित ब्याज / Interest Earned

	for the year ended 31.03.2024	for the year ended 31.03.2023
	(₹)	(₹)
अर्जित ब्याज / Interest Earned		
i) सावधि जमा पर / On Term Deposits :		
a) अनुसूचित बैंकों के साथ / With Scheduled Banks	11,90,052.00	12,79,645.00
b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ / With Non-Scheduled Banks	-	-
कुल / TOTAL[A]	11,90,052.00	12,79,645.00
ii) बचत खातों पर / On Savings Accounts :		
a) अनुसूचित बैंकों के साथ / With Scheduled Banks	-	-
b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ / With Non-Scheduled Banks	-	-
कुल / TOTAL[B]	-	-
कुल / TOTAL[A+B]	**11,90,052.00**	**12,79,645.00**

(श्रीमती माधुरी वराडे)
सचिव
(Smt. Madhuri Varade)
Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिए अनुसूची-8
Schedule-8- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2024

अनुसूची - स्थापना व्यय (पेंशन संवितरण)
Schedule- ESTABLISHMENT EXPENSES (PENSION DISBURSEMENT)

	for the year ended 31.03.2024	for the year ended 31.03.2023
	(₹)	(₹)
स्थापना व्यय (पेंशन संवितरण) / ESTABLISHMENT EXPENSES (PENSION DISBURSEMENT)		
i) अधिवर्षिता निवृती वेतन भुगतान / Superannuation Pension Payments	7,54,69,04,071.00	6,86,20,53,362.30
ii) निवृती वेतन कम्यूटेशन / PENSION COMMUTATION - P. O. No. 532/05.06.2018	61,10,58,290.00	1,14,05,96,770.00
iii)पारिवारिक निवृती वेतन भुगतान / Family Pension Payments	3,48,97,60,603.00	3,14,08,11,409.00
iv) सानुग्रह निवृती वेतन अनुदान भुगतान / Ex-Gratia Pension Payments	85,68,009.00	5,06,85,504.00
कुल / TOTAL	**11,65,62,90,973.00**	**11,19,41,47,045.30**

(श्रीमती माधुरी वरडे)
सचिव
(Smt. Madhuri Varade)
Secretary

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

केंद्र सरकार ने दि 3 नवंबर 2021 को जिस दिन महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधान लागू होने की तिथी तय की है. जिसे दिनांक 29.10.2021 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4504(ई) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था. तद्नुसार 03.11.2021 से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 प्रभावी हुआ. इसके बाद मंत्रालय ने दिनांक 31.01.2022 की राजपत्र अधिसूचना के तहत महापतन प्राधिकरणों के पहले बोर्ड का गठन किया. तदनुसार मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्यो ने दि. 15.02.2022 न्या. संकल्प संख्या 02 के माध्यम से दिनांक 31.01.2022 यांनि राजपत्र अधिसूचना की तिथि से "मुंबई पोर्ट ट्रस्ट" के नाम को "मुंबई पत्तन प्राधिकरण" के रूप में बदलने को अनुमोदन प्रदान किया.

उपरोक्त का अनुपालन करने के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के न्यासियों ने अपने दि 12.05.2022 संकल्प संख्या 02 के माध्यम से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधि न्यास (एमबीपीटीपीएफटी) के नाम को मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास (एमबीपीएपीएफटी) के रूप में बदलने की मंजूरी दे दी है.

अनुसूची 09 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(i) निधि के वित्तीय लेनदेन की प्रस्तुति की दृष्टि से लेखांकन कार्यप्रणाली तैयार की गयी है.

(ii) लेखा विधि के प्रोद्भूत आधार पर तथा ऐतिहासिक लागत परंपरा के अधीन वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं.लेखों की प्रस्तुति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार है. यानी केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों का एक समान प्रारूपानुसार.

(iii) निवेश -

लेखाविधि मानक 13 के अनुसार निवेश संबंधी जानकारी जैसे कि उद्धुत तथा अन उद्धुत (भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ किए गये निवेशों सहित) निवेश की कुल राशि तुलन पत्र के अनुसूची-III में दिखायी गयी है. कमीशन और संबंधित मदो को ध्यान में लेते हुए निवेश लागत पर मूल्यांकित किए गए है.

(iv) राजस्व की जानकारी -

(ए) ब्याज की गणना प्रोद्भूत आधार पर की जाती है.

अनुसूची 10. लेखों पर टिप्पणियाँ :

I. केंद्र सरकार ने नौवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) के दि. 21.05.2004 की माध्यम से अधिसूचना सं. पीआर 12016/24/2002 पीई-1 द्वारा मुंबई पत्तन न्यास (पेंशन फंड) विनियमन 2004 को मंजूरी दी जो की दि. 21.05.2004 अधिसूचना जीएसआरसं. 341(ई) भारत के राजपत्र में भाग ॥, खंड 3 उपखंड 3(i) के तहत प्रकाशित हुई. मुंबई पत्तन न्यास के न्यासी मंडल और पेंशन फंड ट्रस्ट के न्यासियों के बीच 14 जनवरी 2004 को निष्पादित न्यास विलेख द्वारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट अस्तित्व में आया. आयकर आयुक्त क्षेत्र 12 (1), मुंबई ने कुछ शर्तों के अधीन आयकर अधिनियम 1961 के अनुसूची IV के पार्ट बी के नियम 2 (1) के अधीन उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अनुसार दि. 1.3.2004 के आदेश क्र. सीआयटी. 12, पेंशन फंड2003-04 द्वारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधि को अनुमोदन दिया. मंत्रालयने उनके दि. 6.4.2004 के पत्र द्वारा न्यास को अनुमोदन सूचित किया. दि. 21 मई 2004 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी.

II. पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) द्वारा जारी दि.09.01.2015 की अधिसूचना सं. एलबी 13022/4/1997एलIV/डीओ (I) के अनुसार बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड को दि. 01.01.2015 से विधिवत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ विलय कर दिया गया था. इस प्रकार दिनांक 01.01.2015 से भूतपूर्व बीडीएलबी के वर्तमान तथा भविष्यकालीन पेंशनरों के प्रति पेंशन देयता को मुंपोट्र पेंशन निधि न्यास द्वारा वहन किया जाता है तथा पेंशन भुगतान पर व्यय का हिसाब मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेशन फंड ट्रस्ट की बहियों में रखा गया है.

III. दि. 29.03.2004 के न्यासी मंडल की संकल्प संख्या 48 के अनुसार आयकर नियम 1962 के नियम 89 के अनुपालन में भारतीय जीवन बीमा निगम (मा.जी.बी.नि.) को पेंशन निधि के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रत्येक वर्ष में उनके द्वारा वर्तमान तथा भविष्य के पेंशनरों के प्रति बीमांकिक पेंशन देयता परिकलीत की जाती है. इस बिमांकिक देयता के आधार पर तथा मुंबई पत्तन प्राधिकरण (पेंशन फंड) विनियम 2004 में दिए गए मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा मु. प. प्रा. पेंशन निधि न्यास (एमबीपीएपीएफटी) में वार्षिक अशदान किया जाता है. मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास में भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश के रूप में रु. 1495,00,00,000 (रु.1495 करोड़) का अंशदान किया है. जिसमें से रु.121,69,51,842 (रु.121.69 करोड़) मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा देय पिछले बकाया थे और रु. 6,00,00,000 (6.00 करोड़ रुपये) पेंशन भुगतान के वितरण के लिए थे. जिसकी विस्तृत जानकारी अनुसूची-I में दिखाई गयी है.

IV. भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि.) द्वारा निधि प्रबंधन :

(ए) पॉलिसी संख्या 692067 के अनुसार पेंशन निधि के प्रबंधन का कार्य भा.जी.बी.नि. को सौंपा गया है. प्रत्येक वर्ष बिमांकिक देयता की पूर्तता के लिए राशि भा.जी.बी.नि. के साथ निवेश की जाती है. भा.जी.बी.नि. के साथ किए गए निवेशों पर प्राप्त ब्याज को भी भा.जी.बी.नि. के पास रखा जाता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भा.जी.बी.नि. के साथ रु.1495,00,00,000 की राशि निवेश की गई. वित्तीय वर्ष 2023-24 में ब्याज @ 8.08 % रु. 748,58,74,395.83 की राशि भा.जी.बी.नि. से प्राप्त हुई जिसे भा.जी.बी.नि. में पुनः निवेश किया गया. दि. 31.03.2024 तक भा.जी.बी.नि. में कुल निवेश रु. 10308,41,18,893.64 है. दि. 31.03.2023 तक भा.जी.बी.नि. में कुल निवेश रु. 9299,32,44,497.81 था.

(बी) **बीमांकिक मूल्यांकन**

भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि दि. 31.03.2023 को कुल देयता रु. 11447.74 करोड़ है अर्थात वर्तमान पेंशनरों के प्रति रु. 9122.24 करोड़ है और भविष्यकालीन पेंशनरों (वर्तमान कर्मचारी) के प्रति रु. 2325.50 करोड़ है.

यह मूल्यांकन वेतन बढ़ोतरी की 6% दर को ध्यान में लेते हुए किया गया है. दि. 31.03.2024 निधि की जमा राशि रु. 10311.91 करोड़ पर विचार करें, तो रु. 1135.83 करोड़ का कम निधी है जिसे मुख्य रूप से नियोजित भूमि विमुद्रीकरण से अधिशेष निधियों उपलब्ध होने पर पूरा कर दिया जायेगा.

सी) **बैलेंस शीट के बाद की स्थिति**

31.03.2024 के बाद (16.05.2024 तक), रु. 549.00 करोड़ का शुद्ध निवेश पहले ही किया जा चुका है. इससे अल्प निधीयन और कम होकर रु. 586.83 करोड़ हो गई है.

V. मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के न्यास विलेख के प्रावधानों के अनुसार न्यासियों द्वारा उठाये गये लेखा परीक्षा शुल्क सहित निधि के संचालन संबंधी सभी प्रशासकीय व्यय मुंबई पत्तन प्राधिकरण के न्यासी मंडल द्वारा उठाया जाएगा. इसलिए आय और व्यय लेखा में प्रशासकीय व्यय को नहीं दिखाया गया है.

VI. आय और व्यय विवरण में वर्ष 2023-24 में अर्जित ब्याज आय की तरफ दिखायी गयी है. इसमें भा.जी.बी.नि. से प्राप्त ब्याज रु. 748,58,74,395.83 और सी.एल.टी.डी से अर्जित ब्याज रु. 11,90,052.00 सम्मिलित है. इसी प्रकार पेंशन वितरण के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण से प्राप्त रु. 6,00,00,000 (6.00 करोड़ रुपये) की राशि को आय पक्ष में दर्शाया गया है. व्यय कि तरफ दिखाये गये रू 1165,62,90,973.00 के कुल व्यय में पेंशन संशोधन, समेकन और निपटान तथा जीवन प्रमाण

पत्र प्राप्त न होने के कारण रोकी गई पेंशन के कारण उत्पन्न बकाया के रूप में दर्ज रु. 21,64,17,536.00 का उपार्जित व्यय शामिल है. रु. 410,92,26,525.17 के घाटे को पेंशन निधि से प्रभारित किया गया है.

VII. मुंबई पत्तन प्राधिकरण से प्राप्त कुल राशि में से वित्त वर्ष 2023-24 में मुंबई पत्तन प्राधिकरण से रु.121,69,51,842.00 की राशि प्राप्त हुई है. इस प्रकार विविध देनदारों (एमबीपीए से प्राप्त) के रूप में शेष राशि ₹114,43,40,634.89 मुख्य रूप से पूर्व बीडीएलबी के पेंशन फंड के हस्तांतरण के कारण, 'चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति' शीर्षक के तहत दिखाई गई है. इसमें छह महीने से अधिक समय से बकाया रु.109,69,50,704.10 और अन्य रु.4,73,89,930.79 शामिल हैं.

VIII. 31/03/2024 को पेंशनभोगियों से देय राशी रु. 3,95,81,643.00 को 'चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति' के तहत विविध देनदार (पेंशनरों से प्राप्य) दिखाया गया है. इसमें रु. 3,31,08,015.00 छह महीने से अधिक समय से बकाया और अन्य रु. 64,73,628.00 शामिल हैं. वसूली प्रक्रियाधीन है

IX. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 395 ऐसे मामले हैं जिनमें संबंधित पेंशनरों से जीवन प्रमाणपत्र/शपथपत्र नहीं होने पर पेंशन रोक दी गई है. कुल मिलाकर रु.6,77,91,860.00 के ऐसे मामले हैं. पेंशन पुनरीक्षण समेकन एवं पेंशनभोगियों को देय निपटान के कारण कुल रु.8,72,56,496.00 बकाया राशि हैं . इसी तरह रु.6,00,41,802.00 सेवानिवृत्ति बकाया, रु.5,89,226.00 विदेशी सेवा योगदान के कारण भुगतान नहीं किया गया है. इसी प्रकार, रु. 7,38,152.00 की राशि पुरानी शेष राशि के रूप में बकाया है, जिसका निपटान किया जाना बाकी है. इस प्रकार, ₹ 21,64,17,536.00 की उपार्जित देयता को "वर्तमान देयताएं और प्रावधान" शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किया गया है.

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
राजीव जलोटा अध्यक्ष	आदेश तितरमारे उपाध्यक्ष	श्रीमती माधुरी वराडे सचिव
हस्ता-/	हस्ता/-	हस्ता/-
पवन बाहेकर न्यासी	श्रीमती कल्पना देसाई न्यासी	दत्तात्रय खेसे न्यासी

The Central Government has appointed the 3rd day of November, 2021 as a date on which provision of Major Port Authorities Act, 2021, came into force. Same was published vide Gazette Notification No. S.O. 4504(E) dated 29.10.2021. Accordingly the MPA Act, 2021 came into force w.e.f. 03.11.2021. Ministry, thereafter, constituted the first Board of the Major Port Authorities vide Gazette Notification dated 31.01.2022. Accordingly, the Board of Members of the Mumbai Port Authority vide TR No. 02 dated 15.02.2022 have accorded approval to the change the name of "Mumbai Port Trust" as "Mumbai Port Authority" w.e.f. 31.01.2022 i.e. the date of Gazette Notification.

To comply with above, the Trustees of MbPAPFT vide its Resolution No. 02 dated 12.05.2022, have accorded approval to the change the name of Mumbai Port Trust Pension Fund Trust (MbPTPFT) as Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPAPFT).

Schedule 09. Significant Accounting Policies :

(i) The accounting system has been devised with a view to enable presentation of financial transactions of the Fund.

(ii) The financial statements are prepared under the historical cost convention and on the accrual basis of Accounting. The presentation of accounts is as per the prescribed format as specified by C&AG. i.e. Uniform format of Accounts for Central Autonomous Bodies.

(iii) Investments –

In terms of Accounting Standard 13, information relating to investments viz. aggregate amount of quoted and non-quoted investments (inclusive of investments with LIC), has been disclosed in the schedule III to the Balance Sheet. Investments are valued at cost after taking into consideration the commission and allied items.

(iv) Revenue Recognition –

(a) The interest is accounted on accrual basis.

Schedule 10. Notes on Accounts :

I. The Central Government through Ministry of Shipping (Port Wing) conveyed by Notification No. PR-12016/24/2002-PE-I dated 21.05.2004 sanction to Mumbai Port Trust (Pension Fund) Regulation, 2004 which notification published under GSR No. 341(E) in the Gazette of India, Part II, Section 3. Subsection 3(i) dated 21.05.2004. The Mumbai Port Trust Pension Fund Trust came into existence by virtue of Trust Deed executed on 14 January 2004 between the Board of Trustees of Mumbai Port Trust and the Trustees of Pension Fund Trust. The Commissioner of Income Tax Range 12(1), Mumbai by order no. CIT 12/Pension Fund/2003-04 dated 1-3-2004 accorded approval to MbPT Pension fund in terms of powers vested in him under Rule 2(1) of Part B of IV schedule to Income Tax Act, 1961 subject to certain conditions. Ministry by its letter dated 6.4.2004 conveyed its approval to the Trust. The notification has been published in the Govt. Gazette dated 21st May 2004.

II. By notification bearing No. LB-13022/4/1997-L-IV/DO(I) dated 09.01.2015 issued by Ministry of Shipping (Ports Wing), the Bombay Dock Labour Board has been legally merged with Mumbai Port Trust w.e.f. 01.01.2015. As such, w.e.f. 01.01.2015 pension liability towards Ex-BDLB's existing and future pensioners is borne by MbPA Pension Fund Trust and expenditure towards pension payment has been accounted for in the books of MbPA Pension Fund Trust.

III. To comply with Rule 89 of Income Tax Rules, 1962 in terms of Board of Trustees Resolution No.48 dated 29.03.2004, LIC of India has been appointed as Fund Manager to manage Pension Fund. Every year Actuarial Pension Liability towards existing and future pensioners is worked out by them. On the basis of such actuarial liability and in terms of guidelines provided in Mumbai Port Authority (Pension Fund) Regulations, 2004, yearly contribution is made by Mumbai Port Authority to the MbPA Pension Fund Trust (MbPA-PFT). During F.Y.2023-24 Mumbai Port Authority has transferred in MbPA-PFT an amount of ₹ 1495,00,00,000.00 (Rs. 1495.00 crores) out of which ₹ 121,69,51,842.00 (₹. 121.69 crores) were past dues payable by MbPA and ₹ 6,00,00,000 (Rs. 6.00 crores) for disbursement of Pension payments. Details are reflected in Schedule I.

IV. Fund Management by LIC

a) LIC is entrusted with the management of Pension Fund as per Policy no. 692067. To meet the actuarial liability every year, monies are invested with LIC. Interest on investments with LIC is also retained with LIC. During the year, an amount of ₹ 1495,00,00,000 have been invested with LIC. Interest @ 8.08% p.a. amounting to ₹ 748,58,74,395.83 has been received from LIC for F.Y. 2023-24. The total investment with LIC is ₹ 10308,41,18,893.64 as on 31.03.2024. The investment as on 31.03.2023 was ₹ 9299,32,44,497.81

b) Actuarial Valuation

LIC of India has informed the total actuarial liability of ₹ 11,447.74 crore as on 31.03.2024 comprising of ₹ 9122.24 crore towards existing pensioners and ₹ 2325.50 crore towards future pensioners (existing employees).

This valuation has been done considering the salary escalation rate @ 6%. Considering the investment balance of ₹ 10311.91 crore as on 31.03.2024, there is a short funding of ₹ 1135.83 crore which will be made up on availability of surplus revenue in coming years.

c) Post Balance Sheet Development

After 31.03.2024, net investment of ₹ 549.00 crores has already been done (upto 16.05.2024). This has further reduce the short funding to ₹ 586.83 crores.

V. As per the provisions of Trust Deed of MbPA-PFT, all the administrative expenses incurred by the Trustees in connection with administration of fund and the audit fees shall be borne by the Board of Trustees of Mumbai Port Authority. Hence, no administrative expenses are shown in the Income & Expenditure Account.

VI. In the Income and Expenditure statement, the interest earned during the year 2023-24 has been shown as the income side. Interest of ₹ 748,58,743,95.83 received from LIC and ₹ 11,90,052.00 received on CLTD. Similarly amount of ₹ 6,00,00,000 received from MbPA for pension disbursement are shown on income side. The total expenditure of ₹ 1165,62,90,973.00 shown at the expenditure side includes an accrued expenditure of ₹ 21,64,17,536.00 booked towards arrears arising due to Pension Revision, Consolidation & settlement and on account of pension withheld for non-receipt of Life certificates. The deficit of ₹ 410,92,26,525.17 has been charged to the pension fund.

VII. Out of total receivable from MbPA an amount of ₹ 121,69,51,842.00 is received from MbPA in the FY 2023-24. Thus remaining amount of ₹ 114,43,40,634.89 as Sundry Debtors (Receivable from MbPA) mainly on account of transfer of Pension Fund of Ex-BDLB, has been shown under the head 'Current Assets, Loans, Advances & Other Assets'. This includes ₹ 109,69,50,704.10 outstanding for more than six months and others ₹ 4,73,89,930.79

VIII. Sundry Debtors (Receivable from Pensioners) reflected under 'Current Assets, Loans, Advances & Other Assets' of ₹ 3,95,81,643.00 due from Pensioners as on 31/03/2024. This includes ₹ 3,31,08,015.00 outstanding for more than six months and others ₹ 64,73,628.00 The recoveries are under process.

IX. During the F.Y.2023-24, there are 395 cases where pension has been withheld for non receipt of the Life Certificates/Affidavit from the concerned pensioners. Such cases aggregating to ₹ 6,77,91,860.00. The arrears amount due on account of Pension Revision, Consolidation and settlement due to pensioners aggregating to ₹ 8,72,56,496.00. Similarly, ₹ 6,00,41,802.00 has been unpaid on account of superannuation dues, ₹ 5,89,226.00 on accounts of foreign service contributions. Similarly, an amount of ₹ 7,38,152.00 is due to the old balances yet to be settled.. Thus, accrued liability of ₹ 21,64,17,536.00 has been booked under the head "The Current Liabilities and Provisions".

Rajiv Jalota
Chairman

Adesh Titarmare
Dy. Chairman

Smt. Madhuri Varade
Secretary

P.N. Bahekar
Trustee

Smt. Kalpana Desai
Trustee

Dattatraya Khese
Trustee

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के
मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखों पर भारत के नियंत्रक
तथा महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971, की धारा 19 (2), साथ पढ़ें मुंबई पत्तन (पेंशन फंड) विनियम, 2004 के विनियम, अनुबंध (न्यास डीड) के खंड 13 और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 75 (2) (बी) (एफ) के अंतर्गत मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के 31 मार्च 2023 के अनुसार संलग्न तुलन पत्र और आय और व्यय खाते और प्राप्ति और भुगतान की लेखापरीक्षा की हैं. ये वित्तीय विवरण न्यास के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना हैं.

3. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में केवल लेखा-पध्दति आचरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों का सामवेश हैं जो सिर्फ वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखा पध्दति, लेखा कार्य प्रणालियों , मानकों की अनुरूपता तथा प्रगटीकरण मानकों आदि के संबंध में हैं. विधि, नियम तथा विनियम (उपयुक्तता तथा नियमितता) के अनुपालन और सक्षमता- सह निष्पादन पहलू आदि के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा अवलोकन यदि कोई हैं, निरीक्षण रिपोर्ट/ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई हैं.

4. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की हैं. इन मानकों में हमें वित्तीय विवरण वस्तुगत गलत कथन से मुक्त हैं, इस संबंधी पर्याप्त विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा नियोजित तथा तामील करना अपेक्षित हैं. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण और राशियों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सबूतों की परीक्षण आधारपर जॉच करने का समावेश हैं. लेखापरीक्षा में उपयुक्त लेखा पद्धति सिद्धांतो और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के निर्धारण एवं वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन का भी समावेश हैं. हम विश्वास रखते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती हैं.

5. हमारी लेखापरीक्षा के आधारपर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमें सभी जानकारी और स्पष्टिकरण प्राप्त हुए हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए हमारे अधिकतम जानकारी और विश्वास के लिए आवश्यक थे.

(ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, तथा आय-व्यय लेखा भुगतानों को महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44 (1) के अधीन न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं.

(iii) हमारी राय में प्रमुख महापत्तन अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के अधीन आवश्यकता के अनुसार लेखा बहियो और अन्य संबंधित रिकार्ड को मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा उचित रूप से रखा गया हैं जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी जाँच से पता चलता हैं.

(iv) हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि –

ए) तुलन पत्र

ए.1 पेंशन निधि लेखा और देयताए -
पेंशन निधि - रु 10320.41 करोड़ (अनुसूची I)
खातों पर नोट्स के साथ पढ़ें (क्रमांक IV (सी)
(बीमांकिक मूल्यांकन)

न्यास विलेख (14 जनवरी 2004) द्वारा कर्मचारियों तथा भूतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयता को पूरा करने के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास बनाया गया. भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि) को पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है. भा.जी.बी. नि के द्वारा प्रति वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है. जिसके आधार पर मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा भा.जी.बी.नि. के पास राशि निवेश की जाती है.

दि. 31-03-2024 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देयता रु. 11447.74 करोड़ (रु. 9122.24 करोड वर्तमान पेंशनरों के लिए तथा रु. 2325.50 करोड भावी पेंशनरों के लिए) भा.जी.बी.नि सूचित की है. इसके प्रति 31 मार्च 2024 को पेंशन निधि में शेष राशि रु 10320.41 करोड थी. बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निधि शेष में रु. 1127.33 करोड की कमी है.

पेंशन देयता के लिये किये गये कम प्रावधान के परिणाम स्वरूप देयताए (पेंशन निधि खाता) तथा परिसंपत्तिया (वर्तमान परिसंपत्तिया, ऋण तथा अग्रिम "मुंबई पत्तन प्राधिकरण से प्राप्य") रु 1127.33 करोड तक कम बतायी गयी है.

लेखापरीक्षक, वर्ष 2012-2013 से इस कमी की तरफ इंगित कर रहे है.

ए.2 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम और अन्य
परिसंपत्तियां, (अनुसूची 4)
चालू परिसंपत्तियां
विविध देनदार -रू.3.96 करोड़
निवृत्ति वेतन लाभार्थियों से प्राप्य : रू.3.31 करोड़

उपरोक्त राशि ₹ 3.31 करोड़ 31.03.2024 तक पेंशनभोगियों से प्राप्तियों से संबंधित है. उक्त राशि में से, ₹ 1.90 करोड़ की प्राप्य राशि 3 वर्षों से अधिक से संबंधित है. जैसा कि लेखापरीक्षा को बताया गया है, देनदारों की प्रकृति पेंशनभोगी को अतिरिक्त प्रेषण है (अर्थात् पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद, पेंशनभोगियों की मृत्यु

के संबंध में एमबीपीए-पीएफटी द्वारा जानकारी प्राप्त न होने के कारण) इसके अलावा, मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई लेखांकन नीति नहीं अपनाई गयी है.

यह ध्यान में रखते हुए कि इन पुराने बकाया शेष की वसूली की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान न बनाने के परिणामस्वरूप विविध देनदारों की संख्या अधिक बताई गई और घाटे (आय पर व्यय की अधिकता) को ₹ 1.90 करोड़ से कम बताया गया है.

बी. प्रबंधन पत्र

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया हैं उसे उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किये गये प्रबंधन पत्र के माध्यम से न्यास के ध्यान में लाया गया हैं.

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के अधीन हम यह रिपोर्ट करते हैं की इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे, लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

(vi) हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टिकरणों के अनुसार लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उपरोक्त वित्तीय विवरण तथा उपरोक्त बताये गए महत्वपुर्ण मामलों के अधीन और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-I में उल्लेखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिध्दातों के अनुरूप सही तथा स्पष्ट चित्र दर्शाते हैं.

(ए) जहाँ तक यह 31 मार्च 2024 को मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास की स्थिती के अनुसार तुलन-पत्र से संबंधित हैं; और

(बी) जहाँ तक यह उस दिन को समाप्त वर्ष के घाटे के आय और व्यय लेखा से संबंधित हैं.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक के लिए और की ओर से

हस्ता/-

(संदीप रॉय)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन)
मुंबई

स्थान: मुंबई,
दिनांक : 26 सितम्बर 2024

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2023-24 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास (एमबीपीए पीएफटी) का आंतरिक लेखापरीक्षा प्रगति पर है.

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

(ए) अनुसूची 4 में दर्शाए गए बैंक बैलेंस (₹ 6.24 करोड़) 8 चेकों के संबंध में ₹ 0.83 लाख की कटौती के बाद था,, जो अप्रैल 2006 और मई 2018 के बीच जारी किए गए थे और 31.03.2024 को 3 महीने से अधिक पुराने थे. उसे रद्द नहीं किया गया है और न ही वापस लिखा गया है. इसके परिणामस्वरूप नकदी और बैंक शेष को ₹ 0.83 लाख तक कम बताया गया है

(बी) अनुसूची- 4 में दर्शाए गए बैंक बैलेंस (₹ 6.24 करोड़) में अप्रैल 2006 से बैंक में जमा की गई ₹ 26.34 लाख की राशि भी शामिल है, जो 31.03.2024 तक बैंक द्वारा जमा नहीं की गई, इसके कारण नकदी और बैंक शेष को ₹ 26.34 लाख से अधिक बताया गया है.

(सी) इसके अलावा, निम्नलिखित अनुसूची- 4 में दर्शाये गए बैंक बैलेंस में शामिल नहीं है.

(i) ₹ 42.46 लाख बैंक द्वारा जमा किए गए परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा हिसाब में नहीं दिखाया गया.

(ii) ₹ 11.06 लाख बैंक द्वारा नामे डाले गयी परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा हिसाब में नही दिखाया गया

3. अचल परिसंपत्तियाँ के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के पास अचल परिसंपत्तियाँ नही है इसलिए अचल परिसंपत्तियाँ का वास्तविक सत्यापन मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को लागू नही है.

4. मालसूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली ः

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के पास मालसूची नही है इसलिए मालसूची का वास्तविक सत्यापन मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को लागू नही है.

5. संविधिक देय राशि के भुगतान की नियमितता.:

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के सांविधिक देय राशि का भुगतान मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया है अतः वह मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को लागू नही है.

हस्ता/-

उपनिदेशक

स्थान ः मुंबई

दिनांक ः 26 सितम्बर 2024

SEPARATE AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF THE MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

We have audited the attached Balance Sheet of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust as at 31 March 2024 and the Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account for the year ended 31 March 2024 under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Services) Act 1971, read with Regulation 4 of the Mumbai Port Trust (Pension Fund) Regulations, 2004, clause 13 of the Annexure (Trust deed) and section 75 (2) (b) (f) of Major Port Authorities Act, 2021. These financial statements are the responsibility of the Trust's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

3. This Separate Audit Report (DSAR) contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, is reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

4. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

5. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board under Section 44(1) of the Major Port Authority Act, 2021;

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust required under Section 44(1) of the Major Port Authority Act, 2021 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Pension Fund Account & Liabilities

Pension Fund – ₹10320.41 crore (Schedule I) read with Notes on Accounts (Actuarial Valuation at Srl No. IV (c))

Mumbai Port Trust Pension Fund Trust was formed vide a Trust Deed (14 January 2004) to meet the pension liability of employees and ex-employees. Life Insurance Corporation (LIC) has been appointed as the Fund Manager to manage the Pension Fund. LIC does the actuarial valuation every year based on which the money is invested by the Trust with LIC.

The total pension liability as per actuarial valuation as on 31.03.2024 worked out to ₹11447.74 crore (₹9122.24 crore towards existing pensioners and ₹2325.50 crore towards future pensioners). The pension fund balance as on 31 March 2024 was ₹10320.41 crore. Thus, Considering the Actuarial Valuation Report, there is a shortfall of ₹1127.33 crore in the Fund Balance.

The shortfall in the fund balance has resulted in understatement of liabilities (Pension Fund Account) and Asset (Current Assets, Loans and Advances – "Receivable from Mumbai Port Trust") to the extent of ₹1127.33 crore

Audit has been pointing out the shortfall in provisioning for Pension Liability since 2012-13.

A.2 Current Assets, Loans and Advances and Other Assets (Schedule 4)

Current Assets

Sundry Debtors - ₹ 3.96 crore

Receivables from Pensioners: ₹ 3.31crore

The above amount of ₹ 3.31 crore relate to receivables from pensioners as on 31.03.2024. Out of the said amount, receivables amounting to ₹ 1.90 crore pertain to more than three years. As explained to Audit, the nature of debtors is excess remittance to the pensioner (after death of pensioners due to non-receipt of information by MbPA-PFT regarding the death of the pensioners). Further, there is no accounting policy for bad and doubtful debts adopted by Mumbai Port Authority Pension Fund Trust.

Considering that the chance of recovery of these old outstanding balances appears remote, non-creation of provision for doubtful debt resulted in overstatement of Sundry Debtors and understatement of deficit by ₹1.90 crore.

B) Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Trust through a Management letter issued separately for remedial/ corrective action.

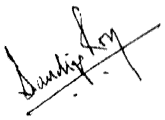
(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India,

(a) In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affairs of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust as at 31 March 2024; and

(b) In so far as it relates to Income and Expenditure Account, of the **Deficit** for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India



(Sandip Roy)
Director General of Audit (Shipping),
Mumbai

Place: Mumbai
Date : 26 September 2024

Annexure I

1. Adequacy of Internal Audit System:

The Internal Audit of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPA-PFT) for the year 2023-24 is under progress.

2. Adequacy of Internal Control System

a) The Bank Balance(₹6.24 crore) reflected in Schedule 4 was after deducting ₹0.83 lakh in respect of 8 Cheques which were issued between April 2006 and May 2018 and were more than 3 months old as at 31.03.2024. The same have not been cancelled and written back. This has resulted in understatement of cash and bank balance to extent of ₹0.83 lakh.

b) The Bank Balance(₹6.24 crore) reflected in Schedule 4 includes an amount of ₹26.34 lakh deposited in the Bank since April 2006 but not credited by bank till 31.03.2024. As these cheques are time barred and cannot be credited. This has resulted in overstatement of cash and bank balance to the extent of ₹26.34 lakh.

c) Further, the bank balance did not include:

(i) ₹42.46 lakh credited by bank but not accounted by MbPA-PFT.

(ii) ₹11.06 lakh debited by bank but not accounted by MbPA-PFT.

3. System of Physical verification of Fixed Assets

Physical Verification of Fixed Assets is not applicable to MbPA-PFT as it does not have Fixed Assets. The Trust is using assets of Mumbai Port Authority.

4. System of Physical verification of Inventory

Physical Verification of Inventory is not applicable to MbPA-PFT as it does not have Inventory.

5. Regularity in payment of statutory dues

Statutory dues of MbPA-PFT were paid by Mumbai Port Authority and hence not applicable.

Deputy Director

Place: Mumbai
Date : 26 September 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ
ए.) तुलन पत्र	
ए.1 पेंशन निधि लेखा और देयताए - पेंशन निधि - रु 10320.41 करोड़ (अनुसूची I) खातों पर नोट्स के साथ पढ़ें (क्रमांक IV (सी) बीमांकिक मूल्यांकन)	
न्यास विलेख (14 जनवरी 2004) द्वारा कर्मचारियों तथा भूतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयता को पूरा करने के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास बनाया गया. भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि) को पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है. भा.जी.बी. नि के द्वारा प्रति वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है. जिसके आधार पर मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा भा.जी.बी.नि. के पास राशि निवेश की जाती है. दि. 31-03-2024 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देयता रु. 11447.74 करोड़ (रु. 9122.24 करोड वर्तमान पेंशनरों के लिए तथा रु. 2325.50 करोड भावी पेंशनरों के लिए) भा.जी.बी.नि सूचित की है. इसके प्रति 31 मार्च 2024 को पेंशन निधि में शेष राशि रु 10320.41 करोड थी. बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निधि शेष में रु. 1127.33 करोड की कमी है. पेंशन देयता के लिये किये गये कम प्रावधान के परिणाम स्वरूप देयताए (पेंशन निधि खाता) तथा परिसंपत्तिया (वर्तमान परिसंपत्तिया, ऋण तथा अग्रिम "मुंबई पत्तन प्राधिकरण से प्राप्य") रु 1127.33 करोड तक कम बतायी गयी है. लेखापरीक्षक, वर्ष 2012-2013 से इस कमी की तरफ इंगित कर रहे है.	लेखापरीक्षण अवलोकन सही है. यह तथ्य है कि 31.03.2024 तक, बीमांकिक मूल्यांकन और निवेश शेष में ₹ 1135.83 करोड़ की कमी है. हर साल बीमांकिक मूल्यांकन और मुंबई पत्तन प्राधिकरण के पास उपलब्ध अधिशेष के आधार पर निधि में योगदान दिया जाता है. मुंबई पत्तन प्राधिकरण अपनी जमीन मुद्रीकरण परियोजनाए सख्ती से आगे बढ़ा रहा है और भूमि के पट्टे से उत्पन्न राजस्व का उपयोग 2023-24 के दौरान किया गया है और भविष्य में भी इसका उपयोग पेंशन निधि में कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा. आने वाले कुछ वर्षों में इस कमी को पूरा करने की उम्मीद है. मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने मूल रूप से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेंशन निधि के लिए ₹1200 करोड़ का बजट रखा था. हालांकि, भूमि मुद्रीकरण और अन्य आय संबंधी कारणों से राजस्व उत्पादन के कारण, मुंबई पत्तन प्राधिकरण बजट राशि से ₹1495 करोड़ अधिक का योगदान करने में सक्षम रहा. यह मुंबई पत्तन प्राधिकरण की अपने दायित्व को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. वित्त वर्ष 2024-25 में भी, मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने पेंशन निधि में ₹ 549 करोड़ (16.05.2024 तक) का शुद्ध योगदान दिया है. क़तार में मौजूद कई अन्य भूमि मुद्रीकरण प्रस्तावों के साथ, आनेवाले वर्ष के दौरान शेष अंतर को भरने का अनुमान है. मुंबई पत्तन प्राधिकरण बीमांकिक मूल्यांकन और निवेश में अंतर को पूरा करने की दिशा में ईमानदारी से काम कर रहा है.

	व्यावहारिक निवेश निर्णयों के कारण निवेश में 1010.06 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. इसके अलावा निवेश की तुलना में बीमांकिक मूल्यांकन में कमी भी पिछले वर्ष की तुलना में 0.33% कम हो गई है. इस प्रकार अंतर को कम करने का प्राधिकरण का निरंतर प्रयास जारी है. इसके संबंध में, यह भी स्वीकार किया जाता है कि पेंशन का दायित्व आवृत्ति प्रवृत्ति का है और परिकलित बीमांकिक दायित्व भा.जी.बी.नि के द्वारा विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए नही है. इसीलियें किसी भी विशिष्ट वर्ष में प्रावधान नही किया जा सकता है. यह भी आपके विचारार्थ हेतू है कि समझौते मे कोई विशेष सीमा नही है कि कब तक अशंदान को पूरा करने की आवश्यकता है. इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान देयता को कम करने तथा हानि/घाटे को अधिक नहीं बताया गया है.पेंशन निधि न्यास के साथ-साथ मुंबई पत्तन प्राधिकरण के खातों की बहियो की टिप्पणियों में निधि की कमी का उचित प्रकटीकरण किया गया है.
ए.2 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां, (अनुसूची 4) **चालू परिसंपत्तियां** **विविध देनदार -रू.3.96 करोड़** **निवृत्ति वेतन लाभार्थियों से प्राप्य : रू.3.31 करोड़**	
उपरोक्त राशि ₹ 3.31 करोड़ 31.03.2024 तक पेंशनभोगियों से प्राप्तियों से संबंधित है. उक्त राशि में से, ₹ 1.90 करोड़ की प्राप्य राशि 3 वर्षों से अधिक से संबंधित है. जैसा कि लेखापरीक्षा को बताया गया है, देनदारों की प्रकृति पेंशनभोगी को अतिरिक्त प्रेषण है (अर्थात् पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद, पेंशनभोगियों की मृत्यु के संबंध में एमबीपीए-पीएफटी द्वारा जानकारी प्राप्त न होने के कारण) इसके अलावा, मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई लेखांकन नीति नहीं अपनाई गयी है. यह ध्यान में रखते हुए कि इन पुराने बकाया शेष की वसूली की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान न बनाने के परिणामस्वरूप विविध देनदारों की संख्या अधिक बताई गई और घाटे (आय पर व्यय की अधिकता) को ₹ 1.90 करोड़ से कम बताया गया है.	यह एक तथ्य है कि 31.03.2024 तक पेंशनभोगियों से ₹ 3.31 करोड़ की राशि प्राप्त होनी है. यह बताना है कि, उपरोक्त वसूली वेतन संशोधन, निपटान आदि के कारण पेंशनभोगियों को देय बकाया राशि से की जाएगी, जो भविष्य में हो सकती है.

अनुलग्नक

अनुक्र.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ
1.	**आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** वर्ष 2023-24 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास (एमबीपीए पीएफटी) का आंतरिक लेखापरीक्षा प्रगति पर है.	मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास (एमबीपीए पीएफटी) की वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 03.09.2024 को ऑडिट को सौंपी गई है . इसे पेंशन निधि न्यास मंडल ने टीआर नंबर 04, दिनांक 26.09.2024 के जरिए मंजूरी दी है.
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** (ए) अनुसूची 4 में दर्शाए गए बैंक बैलेंस (₹ 6.24 करोड़) 8 चेकों के संबंध में ₹ 0.83 लाख की कटौती के बाद था,, जो अप्रैल 2006 और मई 2018 के बीच जारी किए गए थे और 31.03.2024 को 3 महीने से अधिक पुराने थे. उसे रद्द नहीं किया गया है और न ही वापस लिखा गया है. इसके परिणामस्वरूप नकदी और बैंक शेष को ₹ 0.83 लाख तक कम बताया गया है (बी) अनुसूची- 4 में दर्शाए गए बैंक बैलेंस (₹ 6.24 करोड़) में अप्रैल 2006 से बैंक में जमा की गई ₹ 26.34 लाख की राशि भी शामिल है, जो 31.03.2024 तक बैंक द्वारा जमा नहीं की गई, इसके कारण नकदी और बैंक शेष को ₹ 26.34 लाख से अधिक बताया गया है. (सी) इसके अलावा, निम्नलिखित अनुसूची- 4 में दर्शाये गए बैंक बैलेंस में शामिल नहीं है. (i) ₹ 42.46 लाख बैंक द्वारा जमा किए गए परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा हिसाब में नहीं दिखाया गया. (ii) ₹ 11.06 लाख बैंक द्वारा नामे डाले गयी परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा हिसाब में नही दिखाया गया	बैंक समाधान विवरण में असमाधानित मदो को समाशोधित करने का प्रयास किया जा रहा है.

3.	**अचल परीसंपत्तियाँ के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली**: मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के पास अचल परिसंपत्तियाँ नही है इसलिए अचल परिसंपत्तियाँ का वास्तविक सत्यापन मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को लागू नही है.	**वास्तविक**
4.	**मालसुची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली**: मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के पास मालसुची नही है इसलिए मालसुची का वास्तविक सत्यापन मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को लागू नही है.	**वास्तविक**
5.	**सांविधिक देय राशि के भुगतान की नियमितता**: मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के सांविधिक देय राशि का भुगतान मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया है अत: वह मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को लागू नही है.	**वास्तविक**

ACTION TAKEN NOTES ON SEPARATE AUDIT REPORT OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024.

Audit Observations	Action taken notes
A) Balance Sheet	
A.1 Pension Fund Account and Liabilities **Pension Fund ₹ 10320.41 crore (Schedule I) read with Notes on Accounts (Actuarial Valuation at Sr No. IV (c))**	
Mumbai Port Trust Pension Fund Trust was formed vide a Trust Deed (14 January 2004) to meet the pension liability of employees and ex-employees. Life Insurance Corporation (LIC) has been appointed as the Fund Manager to manage the Pension Fund. LIC does the actuarial valuation every year based on which the money is invested by the Trust with LIC. The total pension liability as per actuarial valuation as on 31.03.2024 worked out to ₹ 11447.74 crores (₹ 9122.24 crore towards existing pensioners and ₹ 2350.50 crores towards future pensioners). The pension fund balance as on 31st March, 2024 was ₹ 10320.41 Thus, Considering the Actuarial Valuation Report, there is a shortfall of ₹ 1127.33 crore in the Fund Balance. The shortfall in the fund balance has resulted in understatement of liabilities	Audit observation is correct. It is a fact that as on 31.03.2024, there is a shortfall of ₹. 1135.83 crore between Actuarial liability and the Investment balance of Pension Fund. Every year contribution is made to the funds on the basis of actuarial valuation and surplus available with MbPA. MbPA is rigorously persuading its land motetization projects and the revenue generated from leasing of Land has been utilized during 2023-24 and in future also it will be utilized to bridge the short funding in Pension Fund. It is expected to meet the gap in coming few years. MbPA had originally budgeted contribution of ₹ 1200 cores towards pension fund for FY 2023-24. However due to revenue generation on account of land monetization and the other

(Pension Fund Account) and Asset (Current Assets, Loans and Advances — "Receivable from Mumbai Port Trust") to the extent of ₹ 1127.33 crore. Audit has been pointing out the shortfall in provisioning for Pension Liability since 2012-13.	income related reasons, MbPA was able to contribute ₹ 1495 crores over and above the budgeted amount. This shows MbPA's commitment in fulfilling its obligation. In FY 2024-25 as well, MbPA has made net contribution ₹ 549.00 cores (till 16.05.2024) in pension fund. With many other land monetization proposals in pipeline, it is estimated to fill the remaining gap in span of year. MbPA is sincerely working towards meeting the gap in investment on actuarial valuation. Due to pragmatic investment decisions there has been increase in the investment to the tune of ₹ 1010.06 crore. Further the shortfall in Actuarial Valuation vis-à-vis investment has also reduced by 0.33 % as compared to previous year. Thus it is a constant endeavor of the port to reduce the gap. It is also pertinent to point out that Pension liability is of recurring nature and the actuarial liability worked out by LIC is not for a particular financial year hence cannot be provided for in any particular year. It is also for your consideration that there is no specific deadline in the agreement within which the contribution needs to be complete. As such, there is no

	understatement of current Liability and Assets for the year 2023-24. Due disclosure has been made in the Notes regarding the short funding in the books of the accounts of Pension Fund Trust as well as Mumbai Port Authority. Thus there is no understatement as stated.
A.2 Current Assets, Loans and Advances and Other Assets (Schedule 4) **Current Assets** **Sundry Debtors - ₹ 3.96 crore** **Receivables from Pensioners: ₹ 3.31crore**	
The above amount of ₹ 3.31 crore relate to receivables from pensioners as on 31.03.2024. Out of the said amount, receivables amounting to ₹ 1.90 crore pertain to more than three years. As explained to Audit, the nature of debtors is excess remittance to the pensioner (after death of pensioners due to non-receipt of information by MbPA-PFT regarding the death of the pensioners). Further, there is no accounting policy for bad and doubtful debts adopted by Mumbai Port Authority Pension Fund Trust. Considering that the chance of recovery of these old outstanding balances appears remote, non-creation of provision for doubtful debt resulted in overstatement of Sundry Debtors and understatement of deficit by ₹ 1.90 crore.	It is a fact that as on 31.03.2024, there is receivable from pensioners of ₹ 3.31 crores. It is to state that, the above recovery will be made from arrears amount due to pensioners on accounts of Wage revision, settlement etc, which may materialized in future.

Annexure to Audit Report

Sr. No.	Audit Observations	Comments
1.	**Adequacy of Internal Audit System** The Internal Audit of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPA PFT) for the year 2023-24 is under progress.	The Internal Audit Report of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPA PFT) for the year 2023-24 was submitted to Audit on 03.09.2024. The same was approved by the Board of Trustees of Pension Fund vide TR No. 04 dated 26.09.2024
2.	**Adequacy of Internal Control System** a) The Bank Balance(₹ 6.24 crore) reflected in Schedule 4 was after deducting ₹ 0.83 lakh in respect of 8 Cheques which were issued between April 2006 and May 2018 and were more than 3 months old as at 31.03.2024. The same have not been cancelled and written back. This has resulted in understatement of cash and bank balance to extent of ₹ 0.83 lakh. b) The Bank Balance (₹ 6.24 crore) reflected in Schedule 4 includes an amount of ₹ 26.34 lakh deposited in the Bank since April 2006 but not credited by bank till 31.03.2024. As these cheques are time barred and cannot be credited. This has resulted in overstatement of cash and bank balance to the extent of ₹ 26.34 lakh.	The efforts are being taken to clear the un-reconciled items in the Bank reconciliation statement.

	c) Further, the bank balance did not include: (i) ₹ 42.46 lakh credited by bank but not accounted by MbPA-PFT. (ii) ₹ 11.06 lakh debited by bank but not accounted by MbPA-PFT.	
3.	**System of Physical verification of Fixed Assets** Physical Verification of Fixed Assets is not applicable to MbPA PFT as MbPA PFT does not have Fixed Assets. The Trust is using assets of Mumbai Port Authority	**Factual**
4.	**System of Physical verification of inventory** Physical Verification of Inventory is not applicable to MbPA PFT as MbPA PFT does not have Inventory.	**Factual**
5.	**Regularity in payment of statutory dues** Statutory dues of MbPA PFT were paid by Mumbai Port Authority and hence not applicable.	**Factual**

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास

परित्याग

वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के वार्षिक लेखों उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विहित लेखापरीक्षा आपत्तियों / अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ केवल जानकारी के लिए अंग्रेजी मूल का अनुवाद है . किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी मूल प्रभावी होगा .

MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST

D I S C L A I M E R

The Hindi version of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust Annual Accounts for Financial Year 2023-24, Audit report thereon together with Action Taken Notes on Audit Objections/ Observation contained in Audit Report Financial Year 2023-24 is a translation of the original in English for information purpose only. In case of the discrepancy, the English original will prevail.